19-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एड. ने उपस्थित होकर इकबाली-जवाब दावा पेश किया। जो शामील पत्रावली किया गया। बाद शेष प्रतिवादी इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 14-11-22 को पेश हो।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

14.11.2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये चार माह से भी अधिक का समय हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 की तामील साधारण तरीके से हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
60/2022	2022/115	20.05.2022	14.11.2022

उनवान प्रकरण

1. गणपत पुत्र हनुमान आयु 58 वर्ष
2. रामू उर्फ रामलाल पुत्र हनुमान आयु 52 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी गंगासागर तन् ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

— वादीगण —

बनाम्

1. गणपत पुत्र घीसालाल
2. रामू पुत्र घीसालाल

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी गंगासागर तन् ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
3. गोठी पुत्र घीसा पत्नी गिरधारीलाल आयु 65 वर्ष

   जाति जाट निवासी ढ़ाणी गंगासागर तन् ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) हाल निवासी मुरलीपुरा ढाणी चीमा वाली तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

— प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:–

श्री जे.पी. गुर्जर, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से

दावा बाबत उदघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 7.80 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हैं। उक्त कृषि भूमियों का वादी नम्बर 1 का 1/16 हिस्सा एवं वादी नम्बर 2 का हिस्सा 1/16 के काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदारान काबिज काश्तकार है। वादीगण गणपत एवं रामू उर्फ रामलाल की वल्दियत पिता घीसालाल के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में अंकित हैं जो कतई गलत है। वादीगण के दादाजी साधु के पांच पुत्र क्रमशः जोधा, मोहरू, घीसा, झूंथा, हनुमान थे। इनमें से झूंथा की अविवाहित ही मृत्यु हो गयी तथा मोहरू एवं घीसा की विवाहोपरान्त एक-एक पुत्र संतान पैदा होने के पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी। मोहरू की पत्नी कैसरी ने नाथू से रिमैरिज कर ली और घीसालाल की बेवा श्योकोरी ने अपने देवर हनुमान से रिमैरिज कर ली थी। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
सहायक ... (फास्ट ट्रैक)
... (सीकर)

नाथू से केसरी के पैदा हुए संतान गिरधारी, जगदीश व अर्जुन पुत्र नाथू के नाम से कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व अभिलेख में सही रूप से अंकित हुई हैं। जबकि घीसालाल के फौत होने पर उसकी पत्नी श्योकोरी को समाज के रीति रिवाज अनुसार साधू पुत्र हनुमान का चूड़ा पहना था। इस प्रकार मु. श्योकोरी पत्नी घीसा के बजाय अब श्योकोरी पत्नी हनुमान की हो गयी और हनुमान से रिमैरिज होने पर श्योकारी के दो पुत्र गणपत व रामू उर्फ रामूलाल(वादीगण) पैदा हुए थे। इस प्रकार उक्त वाद में सन्दर्भित कृषि भूमियों की खातेदारी में हिस्सा 1/8 घीसा पुत्र साधू के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमियों के मृतक घीसा के 1/8 हिस्से की भूमि पर घीसा की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा श्योकोरी से पुर्नविवाह (रिमैरिज) करने के पश्चात् हनुमान ही काबिज काश्त करता चला आ रहा था और वादीगण के पिता हनुमान की मृत्युपरान्त विरासत का नामान्तकरण हुआ। तब उक्त वाद में सन्दर्भित उक्त कृषि भूमियों के घीसा के नाम से 1/8 हिस्सा की खातेदारी भूमियों का नामान्तकरण वादीगण के नाम बराबर–बराबर हिस्सा 1/16, 1/16 राजस्व अभिलेख में अंकित हुई थी परन्तु वादीगण का पिता (वल्दियत) का नाभ हनुमान की बजाय घीसालाल ही अंकित कर दिया गया। उक्तं कृषि भूमियों में स्व0 घीसा पुत्र साधू के नाम खातेदारी भूमियों का हिस्सा 1/8 की खातेदारी वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम गणपत पुत्र घीसालाल हिस्सा 1/16 एवं रामू पुत्र घीसालाल के हिस्सा 1/16 अंकित है। जबकि उक्त ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर में गणपत पुत्र घीसालाल, रामू पुत्र घीसालाल नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं हैं जबकि वादीगण के अन्य समस्त सरकारी रिकार्ड मतदाता सूची फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण गणपत, रामलाल पुत्रगण हनुमान ही अंकित हैं तथा इनके अलावा वादीगण गणपत एवं रामलाल पुत्रगण हनुमान पुत्र साधू के नाम की अन्य कृषि भूमियों में भी खातेदारी में वल्दियत हनुमान ही अंकित हैं। इस प्रकार घीसा पुत्र साधू के नाम से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में अंकित खातेदारी हिस्सा 1/8 की भूमि के वारिसान उसकी विधवा श्योकोरी एवं उसकी जायन्दा पुत्री गोठी ही थी और घीसा पुत्र साधू की विधवा श्योकोरी ने अपने देवर हनुमान पुत्र साधू से रिमैरिज कर ली और हनुमान से रिमैरिज पश्चात् उसके हनुमान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: Self Attested

14/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दो पुत्र वादीगण गणपत व रामलाल पैदा हुए और मृतक धीसालाल पुत्र साधू की अन्यथा पुत्र गोठी को भी हनुमान पुत्र साधू (वादीगण का पिता) ने अपनी पुत्री ही मानकर और उसकी अच्छी परवरिश कर धूमधाम से उसकी शादी की थी और वादीगण ने ही उसके सभी सामाजिक संस्कारों, मायरा आदि में भाई का फर्ज अदा करते हैं और उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों बाबत् धीसालाल पुत्र साधू की पुत्री ने भी वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण खातेदारी बाबत् अपनी सहमति प्रदान की थी। इस प्रकार वादीगण के उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में धीसा पुत्र साधू के हिस्सा 1/8 की भूमि के विधिक रूप से हक अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार विधिक रूप से हैं परन्तु उनके वल्दियत में पिता का नाम धीसा दर्ज होने से और वादीगण अन्य सभी सरकारी रिकार्ड में पिता का नाम हनुमान होने से मेल नहीं होकर भिन्नता दर्शित होने से दोनो गणपत व रामू पुत्र धीसा एवं गणतप व रामलाल पुत्र हनुमान अलग व्यक्ति होना जाहिर होता है। जिससे वादीगण को काफी परेशानी होकर सख्त हकतल्फी हैं। इस प्रकार वादीगण के पिता का नाम उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में एवं अन्य कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख और वादीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात में भिन्न-भिन्न वल्दियत होने से वादीगण सभी सरकारी सुविधाओं से वचिंत रह जाते हैं तथा भविष्य में वादीगण को विधिक अड़चने उत्पन्न होने की संभावनाये सदैव बनी रहती हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम (वल्दियत) धीसालाल के स्थान पर हनुमान अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती किया जाना अतिआवश्यक हैं और उक्त दुरूस्ती न्यायोचित हैं। उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम हनुमान सही रूप से अंकित किये जाने से ही वादीगण को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे तथा भविष्य में होने वाली विधिक अड़चनों से राहत हो सकेगी। वादीगण ने अपनी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर ऋण लेने, किसान क्रेडिट कार्ड वास्ते पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तब वादीगण को राजस्व अभिलेख खातेदारी की [illegible] कारी [illegible]यी तत्पश्चात् वादीगण इन बाबत् प्रतिवादी तहसीलदार [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता [illegible] नाम धीसालाल के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

14/11/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व हनुमान का नाम सही अंकित करने हेतु प्रस्तुत किया तो पहले तो प्रतिवादी द्वारा वादीगण को आश्वासन मिलता रहा परन्तु अब सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत् पहले से वादीगण माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण को अपनी उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में वादीगण की वल्दियत घीसालाल के नाम गलत अंकित होने की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा अपनी वल्दियत (पिता) का नाम दुरूस्त करवाने की कार्यवाही तहसीलदार को यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्ती का निवेदन करने के सभी प्रयास विफल होने और प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा इंकार होने पर वादकारण पैदा हुआ हैं। प्रतिवादी नम्बर 3 गोठी देवी को घीसालाल की पुत्री होने से पक्षकार बनाया गया हैं। जिसने पूर्व में वादीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेख खातेदारी वादीगण के नाम किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की थी। कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 7.80 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी राजस्व अभिलेख में गणपत पुत्र घीसालाल एंव रामलाल पुत्र घीसालाल के स्थान पर गणपत पुत्र हनुमान व रामलाल पुत्र हनुमान उद्घोषित किये जाने एंव तद्नुसार उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में गणपत पुत्र घीसालाल एवं रामू पुत्र घीसालाल हजफ किया जाकर उसके स्थान पर गणपत पुत्र हनुमान एवं रामलाल पुत्र हनुमान के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जावें कि ... वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हिस्से की भूमि के शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक ... उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे, न दीगर से कराने का निवेदन वकील वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया है। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड का पेश कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एंव प्रतिवादी संख्या 4 की तामील साधारण तरीके से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने एंव अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के कुल 4 जमाबन्दियों, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें घीसा की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी श्योकोरी ने घीसा के छोटे भाई हनुमान से नाता/रिमैरिज करने के उपरान्त उक्त दोनों वादीगण के उत्पन्न होने से उक्त वादीगण द्वारा अपने पिता का नाम घीसा के स्थान पर हनुमान दर्ज करवाते हुए उक्त खातेदारी राजस्व अभिलेख में गणपत पुत्र घीसालाल एवं रामा उर्फ रामलाल पुत्र घीसालाल के स्थान पर गणपत पुत्र हनुमान एवं रामा उर्फ रामलाल पुत्र हनुमान उदघोषित किये जाने हेतु उक्त वादपत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जावे। गणपत एंव रामू उर्फ रामलाल के परिवार राशन कार्ड एंव आधार कार्ड में पिता का नाम घीसाराम नही होकर हनुमान सहाय दर्ज होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसकी ताईद प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा में अंकित करते हुए उक्त वादपत्र को स्वीकार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रतिवादी संख्या 3 पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 98 रकबा 2.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 7.80 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.06 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व अभिलेख में गणपत पुत्र घीसालाल एंव रामलाल पुत्र घीसालाल के स्थान पर गणपत पुत्र हनुमान व रामलाल पुत्र हनुमान उद्घोषित किया जाता है तथा तदनुसार उक्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में गणपत पुत्र घीसालाल एंव रामू पुत्र घीसालाल का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर गणपत पुत्र हनुमान एंव रामलाल पुत्र हनुमान के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी में जारी दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

है कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे, न दीगर से करावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.14 15:37:43 IST
Reason: SelfAttested